इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2013—पौष 26, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2013

क्र. 514-19-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१३

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम २०१२

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक १६ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३४-ख, ३४-ग और ३४-घ का अंत:स्थापन.

२. मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) की धारा ३४-क के पश्चात्, छठवें अध्याय में निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीम.

''३४-ख.(१) (क) राज्य सरकार, किसी जिले के लिये गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीम तैयार करने के लिये एक गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास समिति का गठन कर सकेगी.

(ख) समिति, ऐसी भूमि की पहचान करेगी जिस पर मण्डल द्वारा गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीम आरंभ की जा सके और ऐसी स्कीम के ब्यौरे, विहित रीति में मण्डल को प्रस्तुत करेगी :

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति द्वारा मण्डल को उक्त स्कीम प्रस्तुत करने के पश्चात् इस प्रकार परिलक्षित भूमि के संबंध में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कोई विकास अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी और कोई व्यक्ति स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर ऐसा प्रस्तुत करने के पूर्व संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्राधिकृत किए गए विकास के अनुसार के सिवाय किसी भूमि या भवन के उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या कोई विकास नहीं करेगा.

(ग) इसमें ऊपर खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तावित स्कीम के प्रस्तुत करने के ६० दिन के भीतर मण्डल उसे ऐसे उपांतरणों के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जैसा कि वह समुचित विचार करे :

परन्तु यदि स्कीम उक्त ६० दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसे व्यपगत हुआ समझा जाएगा.

(घ) इसमें ऊपर खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार स्कीम को अनुमोदित कर सकेगी जैसा कि वह समुचित समझे :

परन्तु ऊपर खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्कीम प्रस्तुत करने की तारीख से ९० दिन की कालावधि के भीतर ऐसा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा स्कीम को अननुमोदित कर दिया गया समझा जाएगा.

(२) (क) इसमें ऊपर उपधारा (१) के खण्ड (घ) के अधीन मण्डल, अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से ३० दिन के भीतर, राजपत्र में स्कीम और उस क्षेत्र में, जिसमें स्कीम क्रियान्वित की जाना है, व्यापक परिचालन वाले दो स्थानीय समाचार-पत्रों में भी स्कीम प्रकाशित करेगा और भूमि के स्वामियों से तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिनकी कि विहित रीति में उक्त स्कीम के क्रियान्वयन से प्रभावित होने की संभावना है, आपत्तियां या सुझाव भी आमंत्रित करेगा :

परन्तु यदि स्कीम ३० दिन की कालावधि के भीतर प्रकाशित नहीं की जाती है तो स्कीम व्यपगत हो गई समझी जाएगी.

(ख) किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो मण्डल को, उक्त स्कीम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, उपधारा (१) के अधीन गठित की गई समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् समिति मण्डल को एक प्रतिवेदन ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगी जैसी कि विहित की जाए.

(३) (क) उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन समिति द्वारा किए गए विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति मण्डल को अपील कर सकेगा तथा मण्डल विहित रीति में ऐसी अपील का निपटारा करेगा.

(ख) मण्डल, अपील, यदि कोई हो, के निपटारे तथा इसमें ऊपर उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन समिति द्वारा किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् स्कीम को ऐसे उपांतरणों के साथ जैसे कि वह समुचित समझे अनुमोदन करेगा, इस प्रकार अनुमोदित स्कीम विहित रीति में, राजपत्र में तथा उस क्षेत्र में, जिसमें योजना क्रियान्वित की जाना है, व्यापक परिचालन वाले दो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी :

परन्तु यदि मण्डल द्वारा स्कीम, ऐसी तारीख से जिस पर कि उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे, १८० दिन की कालावधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है, तो स्कीम व्यपगत हो गई समझी जाएगी.

(४) (क) मण्डल, उपधारा (३) के अधीन अंतिम रूप से स्कीम को प्रकाशित किए जाने के पश्चात् स्वामी के साथ ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, एक अनुबंध निष्पादित कर भूमि अर्जित करने की कार्यवाही करेगा.

(ख) मण्डल, भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १) के अधीन ऐसे स्वामियों से, जिन्होंने उपधारा (३) के अधीन, राजपत्र में स्कीम के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर, खण्ड (क) में उल्लिखित कोई अनुबंध नहीं किया है, भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु मण्डल तीन मास की कालावधि को एक वर्ष तक के लिये बढ़ा सकेगा.

(५) मण्डल, ऐसी भूमि या उसके भाग पर, जो उपधारा (४) के अधीन, ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, अनुबंध या अर्जन के माध्यम से अर्जित की गई है, स्कीम का कार्यान्वयन कर सकेगा.

अनुबंध की लिखत पर रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क से छूट.

३४-ग धारा ३४-ख की उपधारा (४) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुबंध तथा ऐसे अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिये भूमि स्वामी तथा मण्डल के बीच निष्पादित किसी लिखत पर भी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं किया जाएगा.

अनुबंध की लिखत पर स्टाम्प शुल्क की छूट.

३४-घ धारा ३४-ख की उपधारा (४) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुबंध तथा ऐसे अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिये भूमि स्वामी तथा मण्डल के बीच निष्पादित किसी लिखत पर भी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन शुल्क प्रभार्य नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2013

क्र. 515-19-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 10 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH GRIHA NIRMAN EVAM ADHOSANRACHANA VIKAS MANDAL (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas Mandal (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

insertion of Sections 34-B, 34-C and 34-D.

2. After Section 34-A of the Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973), the following Sections shall be inserted in Chapter VI, namely :—

Housing and Infrastructure Development Scheme.

"34-B. (1) (a) The State Government may constitute a Housing and Infrastructure Development Committee for a district to prepare Housing and Infrastructure Development Scheme.

(b) The Committee shall identify the land on which a Housing and Infrastructure Development Scheme may be taken up by the Board and shall submit in the manner prescribed, the details of such Scheme to the Board :

Provided that notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), no development permission shall be granted by the Director, Town and Country Planning in respect of the land so identified after the said Scheme is submitted by the Committee to the Board and no person shall within the area included in the Scheme, change the use of any land or building or carry our any development save in accordance with the development authorised by the Director of Town and Country Planning prior to such submission.

(c) Within 60 days of the submission of the proposed Scheme under clause (b) hereinabove, the Board may submit the same to the State Government with such modifications as it may consider appropriate:

Provided that if the Scheme is not submitted within the said period of 60 days, the same shall be deemed to have lapsed.

(d) The State Government may approve the Scheme submitted under clause (c) hereinabove with such modifications, as it may deem appropriate :

Provided that if such approval is not granted within a period of 90 days from the date of submission of the Scheme to the State Government under clause (c) hereinabove, the Scheme shall be deemed to have been disapproved by the State Government.

(2)(a) The Board shall, within 30 days from the date of receipt of approval granted under clause (d) of sub-section (1) hereinabove, publish the Scheme in the official Gazette and also in two local newspapers having wide circulation in the area in which the Scheme is to be implemented, inviting objections or suggestions from the owners of the land and any other person likely to be affected by the implementation of the said Scheme in the manner prescribed:

Provided that if the Scheme is not published within the said period of 30 days, the Scheme shall be deemed to have lapsed.

(b) Any objections or suggestions which may be received by the Board from any person with respect to the said Scheme shall be decided by the Committee constituted under sub-section (1) and thereafter the Committee shall submit a report to the Board in such manner as may be prescribed.

(3) (a) Any person aggrieved by any decision taken by the Committee under clause (b) of sub-section (2) may prefer an appeal to the Board and the Board shall decide such appeal in the manner prescribed.

(b) The Board shall after deciding the appeal, if any, and after considering the report made by the Committee under clause (b) of sub-section (2) hereinabove, approve the Scheme with such modifications as it may deem appropriate. The Scheme so approved shall be published in the official Gazette and also in two newspapers having wide circulation in the area in which the Scheme is to be implemented, in the manner prescribed :

Provided that if the Scheme is not so published within a period of 180 days from the date on which the objections or suggestions were invited under clause (a) of sub-section (2) in the official Gazette, the Scheme shall be deemed to have been lapsed.

(4) (a) The Board shall, after the Scheme is finally published under sub-section (3), proceed to acquire the land by executing an agreement with the owner in such form and on such terms and conditions as may be prescribed by the State Government.

(b) The Board shall submit the proposal of acquisition under the Land Acquisition Act, 1894 (No. 1 of 1894) to the District Collector of such land whose owner do not enter into the agreement mentioned in clause (a) above within a period of three months from the date of publication of the Scheme in the official Gazette under sub-section (3) :

Provided that the Board may extend the period of said three months to one year.

(5) The Board shall undertake execution of the Housing and Infrastructure Development Scheme on the land or part thereof which may have been acquired by it through agreement or acquisition under sub-section (4) in such a manner as may be prescribed.

Exemption of fee for registration on instrument of agreement.

34-C. The agreement mentioned in clause (a) of sub-section (4) of 34-B and also any instrument executed between owner of the land and the Board for giving effect to such agreement shall not be chargeable with any fee under the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908).

Exemption of stamp duty on instrument of agreement.

34-D. The agreement mentioned in clause (a) of sub-section (4) of Section 34-B and also any instrument executed between owner of the land and the Board for giving effect to such agreement shall not be chargeable with any duty under the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899).".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.